



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 571 राँची, बुधवार, 29 भाद्र, 1945 (श०)
20 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

7 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-18/2023-22046(HRMS)--श्री मोतीलाल हेम्ब्रोम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-458/20), अंचल अधिकारी, देवघर सदर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-194/रा०, दिनांक 08.02.2023 द्वारा W.P.(C) 2625/2013 आनन्द कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक इनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध राजस्व संबंधी कार्यों में अनियमितता बरतने एवं 90 दिनों से अधिक समय से लंबित 10 दाखिल खारिज मामले निष्पादन हेतु लंबित रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1562, दिनांक 15.03.2023 द्वारा श्री हेम्ब्रोम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री हेम्ब्रोम के पत्रांक-516, दिनांक 17.04.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि राजस्व संबंधी कार्य राजस्व नियमों के अनुरूप राजस्व संबंधी दस्तावेजों के गहन छानबीन एवं क्षेत्र निरीक्षण के उपरांत नियमानुसार ससमय सम्पादित किया जाता है। 90 दिनों से अधिक समय से दाखिल खारिज से संबंधित लंबित 10 मामले के संबंध में इनके द्वारा प्रतिवेदित

किया गया कि दो मामले भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर के न्यायालय से पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। तीन मामले में पुनः सुनवाई की जा रही है। एक मामले में आदेश पारित है, परन्तु तकनीकी कारणों से पंजी- II का अद्यतन नहीं हो पर रहा है। एक मामले में आवेदित भूमि की विवरणी संलग्न दलील से मिलान नहीं होने के कारण सुनवाई की जा रही है। दो मामले में आवेदित भूमि पर दखल संबंधी विवाद रहने के कारण लंबित है। एक मामले में आवेदित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज हेतु नोटिस निर्गत की गई है, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्री हेम्ब्रोम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011 में दाखिल खारिज मामलों/वाद के निष्पादन में आपत्ति सहित मामलों में अधिकतम सीमा 90 दिन निर्धारित है, जबकि उनके द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से दाखिल खारिज के मामलों को लंबित रखा गया है, जिसकी स्वीकारोक्ति समर्पित स्पष्टीकरण में भी की गई है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री हेम्ब्रोम द्वारा दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मोतीलाल हेम्ब्रोम, अंचल अधिकारी, देवघर सदर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु शास्ति अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मोतीलाल हेम्ब्रोम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MOTI LAL HEMBROM JHK/JAS/244	श्री मोतीलाल हेम्ब्रोम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-458/20), अंचल अधिकारी, देवघर सदर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत लघु शास्ति अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी पेंशन पर नहीं पड़ेगा, का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
